13 हिन्दुस्तान
पटना • सोमवार • 07 जनवरी 2019

कर्ज न चुकाने वाले बिल्डरों के मामले रेरा को सौंपे जाएं

नई दिल्ली | एजेंसी

कर्ज चूक करने वाले बिल्डरों के मामलों को दिवाला कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास भेजने से पहले नए रीयल एस्टेट कानून रेरा के तहत नियामकों के पास भेजा जाए। रीयल एस्टेट कंपनियों के संगठन नारेडको ने यह सुझाव दिया है।

नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदनी ने कहा, अभी बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें उपभोक्ता अदालतों तथा रेरा के तहत स्थापित रीयल एस्टेट नियामक प्राधिरकणों द्वारा सुनी जाती हैं। इससे असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने इस कानून के प्रावधानों में आवश्यक बदलावों को बताते हुए कहा कि इससे बिल्डरों को कई मंचों पर मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है। कर्ज चूक से संबंधित मामलों को शुरुआत में रेरा के पास भेजा जाना चाहिए। उसके बाद ही उनके खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।